न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :14/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00030)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर।	1. रेशम कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलविन्द्र कौर पुत्री जीत सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर बी ए तहसील पदमुपर। 4. कुलविन्द्र कौर पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 3 यू तहसील श्रीकरणपुर। 5. बलवीर कौर पुत्री जीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 वीं तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:– 06.02.2020

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

2.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए

—निर्णय—

दिनांक : 22.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रेशम कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में वादी की दादी कर्म कौर पत्नी काबल सिंह जाति जटसिख निवासी 1 वीं के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 गुरदीप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से काश्त की जा रही थी तथा आज भी संयुक्त रूप ही काश्त की जा रही है। कर्म कौर की दिनांक 29.08.2008 को मृत्यू हो चुकी है। मृत्यू से पूर्व कर्म कौर हमारे साथ संयुक्त परिवार में रहती थी। कभी वादी के पास तथा कभी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहती थी। कर्म कौर की मृत्यू से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी समय कर्म कौर की कृषि भूमि का तथाकथित दानपत्र दिनांक 28.04.2008 को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 की माता रेशम कौर के नाम करवा लिया गया। तथाकथित दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 गुरदीप सिंह ने कर्म कौर के नाम की कृषि भूमि का नामान्तरण अपनी माता रेशम कौर के नाम दर्ज करवा लिया। परन्तु उक्त दानपत्र प्रारम्भतः शून्य प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त दानपत्र में अंकित कृषि भूमि के कब्जे का वास्तविक परिदान नहीं हुआ एंव दानग्रहिता द्वारा दान को ग्रहण या स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दान के दोनों आवश्यक कानूनी तत्व के अभाव मे उक्त तथाकथित दानपत्र वादी के अधिकारों पर बेअसर है। जिस प्रकार वादी की दादी कर्म कौर हमारे संयुक्त परिवार में कभी वादी के पास कभी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहती थी। उसी प्रकार वादी की माता रेश कौर भी कभी वादी के पास कभी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहती है। वर्तमान में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 रेशम कौर, प्रतिवादी संख्या 2 गुरदीप सिंह के पास निवास कर रही है। आज से करीब 10 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 ने एलानिया धमकी दी कि जिस प्रकार मैने, दादी कर्म कौर की कृषि भूमि का दानपत्र, अपनी माता रेशम कौर के नाम करवाकर, नामान्तरण दर्ज करवा लिया, उसी प्रकार माता रेशम कौर के नाम की कृषि भूमि का हस्तान्तरण अपने, अपनी पत्नी व बच्चो के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम करवाकर कब्जा उसे सौंप दूंगा। यही वाद कारण है। वादी रेशम कौर की भूमि में से अपना हिस्सा घोषित करवाने एंव अन्य संयुक्त भूमि को जोत

सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.278 हैक्टेयर भूमि में से 0.047 हैक्टेयर भूमि में मुझ वादी को अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1,2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्व किए गए, एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाबदावा बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 2 का जवाबदावा बन्द है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी के द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श–1 राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 की प्रति, प्रदर्श–2 राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26 की प्रति, प्रदर्श–4 दानपत्र नामान्तरण संख्या 99 दिनांक 29.04.2008 की प्रति, प्रदर्श–5 असल राजस्व भूअभिलेख दिनांक 12.08.1962 इन्तकाल संख्या 15 की प्रति, प्रदर्श–6 भू प्रबन्धक खसरा 22.01.2021 की प्रति प्रदर्शित करवाए व सतनाम सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह साक्ष्यवादी बन्द की गई। साक्ष्यप्रतिवादी भी बन्द की गई।

3. बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार किए जाने हेतु अर्ज किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में वादपत्र खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 की प्रति, प्रदर्श–2 राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ. नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28 की प्रति, राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26 की प्रति, प्रदर्श–4 दानपत्र नामान्तरण संख्या 99 दिनांक 29.04.2008 की प्रति, प्रदर्श–5 असल राजस्व भूअभिलेख दिनांक 12.08.1962 इन्तकाल संख्या 15 की प्रति, प्रदर्श–6 भू प्रबन्धक खसरा 22.01.2021 की प्रति, दानपत्र दिनांक 29.04.2008 कर्मकौर बहक रेशम कौर की छायाप्रति, कर्मकौर के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.278 हैक्टेयर भूमि में से 0.047 हैक्टेयर भूमि में वादी को अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 रेशम कौर पत्नी जीत सिंह के नाम राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 26 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 0.278 हैक्टेयर भूमि में से 0.047 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि दानपत्र दिनांक 29.04.2008 कर्मकौर बहक रेशम कौर से प्राप्त हुई है। वादी के द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि दानपत्र प्रारम्भतः शून्य प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त दानपत्र में अंकित कृषि भूमि के कब्जे का वास्तविक परिदान नहीं हुआ एंव दानग्रहिता द्वारा दान को ग्रहण या स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दान के दोनों आवश्यक कानूनी तत्व के अभाव मे उक्त तथाकथित दानपत्र वादी के अधिकारों पर बेअसर है तथा वादी रेशम कौर को जरिए दानपत्र से आई भूमि में से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। लिहाजा वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 रेशम कौर के नाम दर्ज राजस्व ग्राम 1 वी द्वितीय, पटवार हल्का 8 वीं, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 25 के मुरब्बा नम्बर 16, 34/1, 34/2 की कुल 3.427 हैक्टेयर भूमि में से 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। जो दानपत्र दिनांक 29.04.2008 कर्मकौर बहक रेशम कौर को निरस्त कर ही दिया जा सकता है। दानपत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार, हाजा न्यायालय को नहीं है। वादगत भूमि रेशम कौर की स्वअर्जित सम्पति की परिभाषा में आती है। जिसमें से वादी अपनी माता रेशम कौर के जीवनकाल में 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद पत्र वादी, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सतनाम सिंह बनाम रेशम कौर आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए

मुकदमा नम्बर 14/2020

निर्णय दिनांक :- 22.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 22.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner